सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 16.08.2025

अवैध मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम की दिशा में कार्य करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 02 अवैध शराब तस्कर किये गये गिरफ्तार ,

कब्जे से 225 टेट्रा पाउच देशी शराब, 44 बोतल अंग्रेजी शराब तथा 01 डस्टर कार कुल अनुमानित कीमत 10,00,000/- रुपये की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन में इटावा पुलिस **थाना बकेवर पुलिस द्वारा** की गयी कार्यवाही।

घटना/ गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर नियंत्रण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम मे दिनांक 15.08.2025 की रात्रि को थाना बकेवर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भरथना ओवर ब्रिज के बगल में सर्विस रोड के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान इटावा की ओर से 01 कार आती दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया तो कार सवार वापस मोडकर भागने का प्रयास करने लगे, जिस पर **पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुये 02 व्यक्तियों (कार चालक व उसका साथी) को मौके से पकड लिया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये अभियुक्त शिवम दीक्षित पुत्र सुभाष तथा विपिन कुमार यादव पुत्र अजय कुमार तथा कार की तलाशी ली गयी तो कार से शराब की पेटियां जिसमें (225 क्वार्टर देशी शराब टेट्रा पाउच) , 44 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुयी। कडाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि बरामद शराब को बेचने के लिए जा रहे थे कि आप लोगों ने हमें पकड लिया।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध मे **थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 240/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया।

बरामद डस्टर कार को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. शिवम पुत्र सुभाष दीक्षित निवासी ग्राम मुरैथा थाना इकदिल जनपद इटावा **उम्र 31 वर्ष।**
2. विपिन कुमार यादव पुत्र अजय कुमार निवासी नगला राधे थाना इकदिल जनपद इटावा **उम्र 27 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 240/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बकेवर जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 225 टेट्रा पाउच देशी शराब (मस्तीह ब्राण्डFOR SALE IN UP ONLY)
2. 44 बोतल अंग्रेजी शराब (ICONIQ WHITE DELUXE INTERNATIONAL GRAIN WHISKY FOR SALE IN UP ONLY)
3. 01 कार डस्टर **(सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट)**

पुलिस टीमः थानाध्यक्ष श्री विपिन मलिक थाना बकेवर, उ0नि0 मान सिंह मय टीम।